न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

नामांतरण पुनरीक्षण 21 आर 15/07–08

देवान ठाकुर — अपीलकर्ता

बनाम

रेखा देवी — प्रतिवादी

आदेश

7
30.01.2008

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील 11 आर 15/05–06 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा दिनांक 31.07.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 08 आर 27/04–05 में अंचल अधिकारी,ओरमांझी के दिनांक 26.08.2004 के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को अस्वीकृत कर दिया है। अंवल अधिकारी द्वारा निम्नांकित जमीन का नामांतरण प्रतिवादी के नाम स्वीकृत किया गया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
ओरमांझी	75	687	0.03 एकड़

पुनरीक्षण आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन उन्होने त्रिवेणी साव से निबंधित बसीका संख्या 1017 से 9.2.1974 को अपने भाई गिरधारी ठाकुर के नाम से खरीदा है। हालॉकि जमीन पुनरीक्षणकर्ता ने अपने भाई के नाम से खरीदा परन्तु इसकी कीमत उसने स्वयं अदा किया। बर्ष 1974 से ही वे मकान बनाकर विवादित भूमि पर निवास कर रहे हैं। पुनरीक्षणकर्ता ने मुंसिफ रॉची के न्यायालय में प्रतिवादी रेखा देवी एवं गिरधारी ठाकुर के विरुद्ध स्वत्व वाद संख्या 161/2004 दायर किया है जिसमें गिरधारी ठाकुर ने अपने जवाब में विवादित जमीन पर पुनरीक्षणकर्ता का हक एवं दावा स्वीकार किया है। प्रतिवादी रेखा देवी का यह दावा है कि उसने विवादित जमीन निबंधित वसीका द्वारा गिरीधारी ठाकुर से 29.07.2004 को

खरीदा है। वास्तव में विवादित जमीन गिरीधारी ठाकुर के दखल में कभी नहीं रहा बल्कि यह हमेशा पुनरीक्षणकर्ता देवान ठाकुर के ही दखल में चला आ रहा है। प्रतिवादी को इस बात की जानकारी रहने के बावजूद उसने भूमि का निबंधन कराया। अंचल अधिकारी, ओरमांझी द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये ही प्रतिवादी का नामांतरण स्वीकृत किया गया जबकि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आपत्ति दायर कर स्थल जॉच का अनुरोध किया गया था। इसके विरुद्ध उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रॉची के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसे कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर खारिज कर दिया गया।

उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के लिखित बहस में मूल आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी के लिखित बहस में बताया गया है कि पूर्व में विवादित जमीन त्रिवेणी साहु के अधिकार एवं दखल में था। उन्होने इसे गिरीधारी ठाकुर को निबंधित बिकी पट्टा द्वारा 9.2.1974 को बिकी किया था। गिरीधारी ठाकुर दखलकार होकर मकान का निर्माण किया। दिनांक 29.7.2004 को उसने विवादित जमीन प्रतिवादी को निबंधित वसीका द्वारा बिकी कर दिया। तभी से प्रतिवादी विवादित जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हैं। अंचल अधिकारी, ओरमॉझी द्वारा पूर्ण जॉच कर प्रतिवादी के नाम दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी कागजातों की जॉच कर अपील खारिज किया गया। अपीलकर्ता ने स्वयं विवादित भूमि पर अपना हक दखल एवं अधिकार घोषित करने हेतु टाईटल सूट दायर किया है जिससे साबित होता है कि उनका विवादित जमीन पर वर्तमान में कोई हक दखल या अधिकार नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का दखल है जिसके आधार पर नामांतरण हुआ है। रिविजनकर्ता का दावा 1974 के निबंधित वसीका के आधार पर है जिसमें गिरधारी ठाकुर ने त्रिवेणी साव से विवादित खेसरा संख्या 687 में 03 डिसमिल भूमि क्रय किया। लेकिन

रिविजनकर्ता (देवान ठाकुर) और गिरधारी ठाकुर के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है। इसके विपरीत गिरधारी ठाकुर ने ही प्रतिवादी को 2004 में निबंधित वसीका द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया। इसके बाद प्रतिवादी को कब्जा हुआ और तब दाखिल खारिज हुआ। प्रथम पक्ष द्वारा एक स्वत्व वाद 161/2004 भी दायर किया गया है।

अतएव रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः—30.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

30/1/08

अपर समाहर्ता,
रॉची।